

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 72/24 प्राप्पग

1- श्री गिरधारी शिवाजीवाला ब्राह्मण निवासी बालानगर तहसील-माण्डल जिला

-प्राथी

बनाम

1- श्री ओमप्रकाश शिवाजीवाला ब्राह्मण निवासी- बालानगर तहसील-माण्डल जिला
(सुष्माक्षित प्राप्पग/राप्पग)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 28.5.24

::आदेश::

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बालानगर पटवार हल्का शिवानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 3461, 3840, 3842 कुल किता 03 रकबा 1-5302 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.03.24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्राथी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बालानगर पटवार हल्का शिवानपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 3461, 3840, 3842 कुल किता 03 रकबा 1-5302 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षण शिवानपुरा को 600 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खली होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल



प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजाकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमित पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल